(102)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 22-पॉच/1993 - विरूद्व आदेश दिनांक 12-01-1993 पारित द्वारा - आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर - प्रकरण कमांक 39/अ-56/1992-93 अपील

सरजू प्रसाद पुत्र दौलत चिड़ार

निवासी हडा बरोदा तहसील पाटन

जिला जबलपुंर, मध्यप्रदेश ---आवेदक

विरूद्व

मध्यप्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री ए0के0अग्रवाल)

(शासकीय अभिभाषक श्री बी0एन0त्यागी)

आ दे श

(दिनांक 17 फरवरी, 2016 को पारित)

आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 39/अ-56/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-1-93 के विरूद्व यह निगरानी म0प्र0 भू-राजस्व संहिता,1959 की धारा-50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक द्वारा वर्ष 1990 में जनगणना कार्य में सहयोग नहीं किया एवं शासकीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती, जिसके आधार पर

नायब तहसीलदार तहसील कटंगी ने आदेश दिनांक 31.10.90 से आवेदक को दण्डित कोटवार पद से प्रथक कर दिया । इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपीन होने पर आदेश दिनांक 17.01.91 से नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित हुआ । नायब तहसीलदार कटंगी ने प्रकरण कमांक 6 अ-56/89-90 में आवेदक की सुनवाई कर आदेश दिनांक 5-6-1991 पारित किया तथा आवेदक को ग्राम के कोटवार पद से पृथक कर दिया । इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी पाटन के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 28 अ-56/90-91 में पारित आदेश दिनांक 13 अगस्त 1991 से अपील निरस्त कर नायब तहसीलदार कटंगी के आदेश दिनांक 5-6-91 को स्थिर रखा गया । इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष अपील कमांक 39/अ-56/1992-93 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 12 फरवरी 1993 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एव नायब तहसीलदार कटंगी के आदेश दिनांक 5-6-1991 तथा अनुविभागीय अधिकारी पाटन के आदेश दिनांक 13-8-91 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि महेश प्रसाद नामदेव की डयूटी जनगणना कार्य में थी एवं जब वह आवेदक को कोटवार होने के नाते जनगणना कार्य में थी एवं जब वह आवेदक को कोटवार होने के नाते जनगणना कार्य में सहयोग के लिये बुलाने उसके घर गया तब आवेदक ने डयूटी पर आने से मना कर दिया । इसी प्रकार आवेदक ने नायब तहसीलदार के समक्ष बचाव में स्वीकार किया है कि उसने कोटवार के सेवा खाते की भूमि सिकमी पर दे दी थी क्योकि उसे पता नहीं था कि सेवा खाते की भूमि सिकमी पर नहीं दी जा सकती । हलका पटवारी ने भी कथन दिये

हैं कि आवेदक शासकीय कार्य संपादन में बहानेवाजी करके टालमटूल करता आया है जिसके कारण नायब तहसीलदार ने आवेदक को दो-दो बार बचाव प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का भी समुचित अवसर दिया है परन्तु आवेदक स्वंय के पक्ष में कुछ भी प्रमाणित नहीं कर सका है जिसके कारण नायब तहसीलदार ने आवेदक को कोटवार पद से प्रथक किया है । वैसे भी तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप का गुंजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एवं आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 39/अ-56/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-1-93 विधिवत् पाये जाने से यथावत् रखा जाता है ।

(एम0के0सिंह)

सदस्य

राजस्व मण्डल

मध्य प्रदेश ग्वालियर